न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 44/2018

अपीलान्ट्स

पोलाराम पुत्र स्वर्गीय खीयाराम, जाति मेघवाल, निवासी नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रीमति रूकमा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय खीयाराम
2. बंशीलाल पुत्र स्वर्गीय खीयाराम
3. चैनाराम पुत्र स्वर्गीय खीयाराम
   जातियान मेघवाल, निवासीगण नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी बंटवाडा आदेश क्रमांक/भू0अ0/ रा0लो0अ0/2018/220 दिनांक 15.5.2018 जो तहसीलदार (भू0अ0) लूणी, जिला जोधपुर द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत के तहत पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री एन0 के0 दाधीच उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री मनोहर सिंह राठौड़ उपस्थित।

-: आदेश :- दिनांक :- 22.07.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाडा आदेश क्रमांक/भू0अ0/रा0लो0अ0/2018/220 दिनांक 15.5.2018 जो तहसीलदार (भू0अ0) लूणी, जिला जोधपुर द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत के तहत पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नं0 563/1 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा नं0 564 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि बमुकाम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय खीयाराम पुत्र स्व0 नैनाराम की थी, खीयाराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका सजरा खानदान रूकमा देवी (पत्नि), पोलाराम, बंशीलाल व चैनाराम (पुत्र) तथा सन्तु देवी व फूली [illegible] (पुत्रियाँ) हैं। खीयाराम के देहान्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

बाद जो नामान्तरकरण भरा गया उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में खीयाराम के समस्त वारिसानों के नाम दर्ज किये गये। खीयाराम की दो पुत्रिया श्रीमति सन्तुदेवी व फूलीदेवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक–तर्कनामा दिनांक 10.05.2018 को अपना हक व हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 18.05.2018 को श्रीमति सन्तुदेवी व फूलीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया। विवादग्रस्त भूमि का 1/6 भाग की मालिक श्रीमती रूकमादेवी तथा 5/6 भाग का स्वामी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हुए।

अपीलान्ट गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है जो मात्र अगुष्ठ लगाना जानता है। अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने चालाकी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी तरफ मिला लिया। दिनांक 15.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि उपरोक्त भूमि में समस्त कृषि भूमि खसरा नं0 563/1 व 564 ग्राम नारनाडी जो संयुक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से पट्टे पक्षकारान् का अलग–अलग बंटवाडा करा लिया। इसके बाद दिनांक 27.07.2018 को कुछ भूमाफिया लोग खसरा नं0 563/1 पर आये। अपीलान्ट की काश्तसुदा भूमि 563/1 में रूकमादेवी का 4 बीघा जमीन का हक जताया जबकि रूकमा देवी का खसरा नं0 563/1 रकबा 11.08 बीघा में 1/6 अर्थात् 1.18 बीघा हिस्सा है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपसी बंटवाडा माफिक रूकमा देवी का खसरा नं0 563/1 में 4 बीघा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार आपसी सहमति से बंटवाडा होना बताया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री मनोहरसिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 08.07.2019 को सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक श्री एन0 के0 दाधीच ने प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नं0 563/1 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा नं0 564 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि बमुकाम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय खीयाराम पुत्र स्व0 नैनाराम की थी, खीयाराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका सजरा खानदान रूकमा देवी (पत्नि), पोलाराम, बंशीलाल व चैनाराम (पुत्र) तथा सन्तु देवी व फूली देवी (पुत्रियाँ) हैं। खीयाराम के देहान्त के बाद जो नामान्तरकरण भरा गया उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में खीयाराम के समस्त वारिसानों के नाम दर्ज किये गये। खीयाराम की दो पुत्रिया श्रीमति सन्तुदेवी व फूलीदेवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक–तर्कनामा दिनांक 10.05.2018 को अपना हक व हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 18.05.2018 को श्रीमति सन्तुदेवी व फूलीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया। विवादग्रस्त भूमि का 1/6 भाग की मालिक श्रीमती रूकमादेवी तथा 5/6 भाग का स्वामी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है जो मात्र अगुष्ठ लगाना जानता है। अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने चालाकी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी तरफ मिला लिया। दिनांक 15.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि उपरोक्त भूमि में समस्त कृषि भूमि खसरा नं0 563/1 व 564 ग्राम नारनाडी जो संयुक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से पट्टे पक्षकारान् का अलग–अलग बंटवाडा करा लिया। इसके बाद दिनांक 27.07.2018 को कुछ भूमाफिया लोग खसरा नं0 563/1 पर आये। अपीलान्ट की काश्तसुदा भूमि 563/1 में रूकमादेवी का 4 बीघा जमीन का हक जताया जबकि रूकमा देवी का खसरा नं0 563/1 रकबा 11.08 बीघा में 1/6 अर्थात् 1.18 बीघा हिस्सा है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपसी बंटवाडा माफिक रूकमा देवी का खसरा नं0 563/1 में 4 बीघा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार आपसी सहमति से बंटवाडा होना बताया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार, लूणी ने आदेश दिनांक 15.05.2018 को जो पारित किया है वह विधि के विधान अनुसार सही नहीं है। उन्होनें यह भी कथन किया कि आदेश दिनांक 15.05.2018 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से शून्य है। तहसीलदार लूणी ने इस अपील में पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक था। तहसीलदार लूणी ने अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है उसमें कानूनी भूल की है। उन्होनें यह भी कथन किया कि यदि पक्षकारान् की आपसी सहमति से स्वतन्त्रपूर्वक बंटवाडा होता तो दो खसरा में से एक खसरान् का ही बंटवाडा नहीं होता। मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से बंटवाडा होना बताया जबकि समस्त सहखोतदारों की आपसी सहमति से बंटवाडा होना चाहिए।

अपीलान्ट अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत् लिखित में कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त भूमि ग्राम नारनाडी खसरा नं0 563/1 रकबा 11.08 बीघा व खसरा नं0 564 रकबा 13.02 बीघा आई हुई है। जिसका बंटवाडा करवाने हेतु राजस्व कैम्प में प्रार्थना–पत्र दिया। बंटवाडा करते समय प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया कि प्रार्थी को खसरा नं0 563/1 व 564 में बराबर चार भाग किये जायेगें। इसी विश्वास के साथ प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर दिये।

प्रार्थी अभिभाषक ने लिखित में यह भी अवगत कराया कि बंटवाडा होने पर दिनांक 26.07.2018 को गांव वालों से ज्ञात हुआ कि बंटवाडा खसरा नं0 563/1 में 4 बीघा भूमि रूकमा देवी के नाम दर्ज की गई। बाकी भूमि का बंटवाडा नहीं हुआ तब प्रार्थी पटवारी के पास गया और दिनांक 27.07.2018 को बंटवाडे की नकल प्राप्त की और दिनांक 10.08.2018 को यह अपील प्रस्तुत कर दी। अतः बंटवाडे के आधार पर तहसीलदार के द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 2440 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक श्री मनोहरसिंह राठौड ने अपनी बहस शुरू करते हुए सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 5 मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील गलत तथ्यों एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर मात्र रेस्पोडेन्ट की वृद्ध माता रूकमादेवी की इच्छाओं का दामन करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। वास्तविक तथ्यों को छूपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सभी की सहमति से राजस्व अभियान के तहत गांव के मौजिज लोगों के सामने सर्वसम्मति से बंटवाडा खसरा नं0 563/1 के बाबत् करते हुए माता को 4 बीघा भूमि का खातेदार नियुक्त करते हुए खसरा नं0 563/1 के बाबत् बंटवाडा सभी की सहमति से किया गया। दिनांक 15.05.2018 को बंटवाडा प्रस्ताव पेश करने से प्रार्थी को स्पष्ट जानकारी रही। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2018 की काल्पनिक तारीख बताते हुए न्यायालय हाजा को गुमराह किया है। दिनांक 15.05.2018 को गांव में सहमति से सभी पक्षकारों की मौजूदगी में बंटवाडा विधिवत् किया गया जबकि माता रूकमा देवी का कानूनन 4 बीघा 1 बिस्वा 13 बिस्वांशी हक/हिस्सा है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि प्रस्तुत अपील रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से पेश की है। पूर्व में विवादित भूमि माता रूकमादेवी व उसके तीन पुत्र पोलाराम, बंशीलाल, चैनाराम व दो पुत्रियां सन्तु व फूलीदेवी के नाम से खातेदारी थी। जिसमें बहनों को यह कहते हुए गुमराह करते हुए कि वे अपने व हिस्से का अपने भाइयों के हक में हक त्याग कर देवे और माता के नाम 4 बीघा 1 बिस्वा 13 बिस्वांशी जमीन में से 4 बीघा भूमि की खातेदारी अलग करके उसका बेचान करके उससे प्राप्त राशि दोनों पुत्रियों को दे दी जायेगी। इस कारण दोनों बहनों ने दिनांक 10.05.2018 को पंजीकृत हकतर्कनामा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम निष्पादित करवाया और राजस्व अभियान में सहमति से 4 बीघा भूमि की खातेदारी माताजी को विधिवत् सहमति से दी गई और मौके पर उसी अनुरूप तरमीम करवाई गई। अतः अपील गलत तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के योग्य अभिभाषक ने मौखिक व लिखित अपील का एतराज करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को आपसी सहमति से एवं स्वैच्छा से करवाये गये न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत के बंटवाडे को चुनौती देने का अधिकार नहीं है और अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.05.2018 को स्वयं राजस्व कैम्प में सभी पक्षकारों की सहमति से और मौजिज लोगों की मौजूदगी में बंटवाडा करवाया गया। सभी पक्षकार एवं खातेदारों ने मिलकर सहमति से राजस्व कैम्प में बंटवाडा करवाया। उन्होनें अपनी बहस में यह भी अवगत कराया कि धारा 53 (2) काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरों के छोटे–छोटे टुकडे नहीं करने के उद्देश्य से ही दिनांक 15.05.2018 को खसरा नं0 563/1 का सहमति से रूकमादेवी को 4 बीघा भूमि की खातेदारी दी और शेष भूमि पर खीयाराम के तीनों पुत्र काबिज हुए ताकि वे अपनी शेष भूमि पर बडे भाग के रूप में काश्त कर सकें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बंटवाडा आदेश क्रमांक / भू0अ0 / रा0लो0अ0 / 2018 / 220 दिनांक 15.5.2018 जो तहसीलदार (भू0अ0) लूणी, जिला जोधपुर द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत के तहत पारित किया गया को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल बंटवाडा पत्रावली जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में प्रस्तुत आपसी सहमति से बंटवाडा प्रारूप जो पेश किया गया था उसमें अपीलान्ट पोलाराम पुत्र स्व0 खीयाराम स्वयं के अगुष्ठ निशान है और उक्त बंटवाडे के आधार पर की गई तरमीम पर भी पोलाराम के अंगूठे का निशान जिसकी पहचान पटवारी हल्का नारनाडी द्वारा की गई है। इस प्रकार आपसी सहमति से किया गया बंटवाडा में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मानते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested